संख्या ओ० एम०/ई-2-016/74 799

बिहार सरकार;

कार्मिक विभाग;

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा।

पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 74।

विषय :—तेनुघाट बांध प्रमंडल के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1557, दि० 7-9-74 का निर्देश करते हुए मुझे कहना है कि हेल्पर, वर्क सरकार, माली, चौकीदार, टाइमकीपर लिपिक वगैरह सामान्य श्रेणी (General) में आते हैं। इन्हें शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लिपिक आदेशपाल वगैरह के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिये एवं उन्हें तकनीकी कहकर छोड़ नहीं दिया जाय/शेष 7 या 8 तकनीकी कर्मचारी यदि डोजर एवं ट्रैक्टर आपरेटर या ड्राइवर का काम करने योग्य हों तो उन्हें ड्राइवर के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति दी जा सकती है। कृपया इसकी जानकारी आप सम्बन्धित पदाधिकारियों को दें।

विश्वासभाजन,
ह०/– कीर्ति नारायण
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-016/74 799 /पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 1974।

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारियों को तेनुघाट बांध परियोजना के अतिरेक कार्यभारित कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित।

ह०/– कीर्ति नारायण
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-018/74 758/पटना, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी/चेयरमैन, गंडक क्षेत्र विकास प्राधिकार मुजफ्फरपुर चेयरमैन कोशी क्षेत्र विकास प्राधिकार सह/ चेयरमैन सोन क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित। प्रतिलिपि श्री सिंहेश्वर सहाय, सिंचाई आयुक्त को उनके ज्ञापांक 12688 दिनांक 24-8-74 के प्रसंग में सूचनार्थ। अनुरोध है कि वे कृपया की गयी कार्रवाई से अवगत कराएं।

ह०/(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

संख्या ओ० एम०/ई-2-020/74 788

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

प्रेषक :—

श्री कीर्ति नारायण,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना, दिनांक 11 नवम्बर, 1974।

विषय :—तेनुघाट बांध योजना के 1657 अतिरेक कार्यभारित कर्मचारियों को बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्यान्य विभागों में समायोजन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे मुख्य सचिव के पत्र संख्या 758 दिनांक 17 अक्टूबर 1974 के प्रसंग में सूचित करना है कि अभी तक किसी भी विभाग या विभागाध्यक्ष से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ, जबकि अनेक जिलाधिकारियों ने ऐसा सूचित किया है कि तकनीकी विभागों में उपर्युक्त विषयक निदेशों की अवहेलना करते हुए नियुक्तियाँ की जा रही हैं एवं तेनुघाट के अतिरेक तकनीकी कर्मचारियों का समायोजन करने की ओर दिलचस्पी नहीं ली गयी। इस सम्बन्ध में सिंचाई आयुक्त, बिहार सरकार पटना को प्रेषित, पत्र संख्या 787 दिनांक 9-11-74 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है जिससे पूरी बातें स्पष्ट होंगी और यह भी स्पष्ट होगा कि अभीतक सभी विभागों/विभागाध्यक्षों ने अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उचित निदेश नहीं भेजा है। अनुरोध है कि इसकी आवश्यक जाँच-पड़ताल की जाय एवं सभी क्षेत्रीय विभागों को उचित निदेश भेजे जायँ ताकि तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों का सामंजन हो सके एवं जबतक सामंजन पूरा नहीं होता है तबतक किसी दूसरे व्यक्ति की लगभग समान पदों पर नियुक्ति नहीं की जाय एवं जिन नियुक्तियों में इन निदेशों की अवहेलना की गयी है उन्हें रद्द किया जाय तथा नियुक्ति पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाय। इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन मुख्य सचिव के सूचनार्थ शीघ्र भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
ह०/—कीर्ति नारायण
सरकार के उप सचिव।

संख्या ओ० एम०/ई०2-016/74 7 /

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,

मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 14 जनवरी, 1975।

विषय :—तेनुघाट बाँध योजना के 1657 अतिरिक्त कर्मचारियों के अवशोषण के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके पत्रांक 1868/स्था, दिनांक 7-11-74 के निर्देश में निदेशानुसार मुझे कहना है कि इस विभाग से निर्गत श्री पी० के० जे० मेनन के परिपत्र संख्या ओ० एम०/ई2-20/74-705, दिनांक 30 सितम्बर, 1974 में यह स्पष्ट अनुदेश भेजा गया था कि तेनुघाट बाँध योजना के तकनीकी कर्मचारियों को योग्य या कुछ निम्न स्तर के रिक्त तकनीकी पद खोजकर नियुक्त करना है। यदि ऐसे तकनीकी पद नहीं भी मिलते हैं तो उन्हें कुछ निम्न पदों पर जैसे आदेशपाल, पिऊन या इनसे कुछ उच्चतर पद पर नियुक्त किया जाय। यह भी स्पष्ट किया गया था कि चूँकि सरकार का यह निर्णय है कि जबतक इनका समंजन नहीं हो जाता तबतक इन्हें वेतन मिलता रहेगा, उन्हे कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं प्राप्त हो जाने तक राज्य कोष का धन व्यर्थ ही खर्च होता रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि तेनुघाट बाँध योजना के जिन अतिरेक हेल्परों को चकबन्दी कार्यालय में रात्रि रक्षक के पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, अगर वे उन पदों पर योगदान करना अस्वीकार करें तो उनसे लिखित रूप से उनकी अस्वीकृति प्राप्त कर अतिरेक कर्मचारियों की सूची से उनके नामों को हटा दिया जाय और अधीक्षण अभियन्ता तेनुघाट बाँध योजना अंचल संख्या-1 तेनुघाट एवं मुख्य अभियन्ता, तेनुघाट, सिंचाई एवं विद्युत विभाग (नदी घाटी योजना) को इसकी सूचना दे दी जाय ताकि उपर्युक्त सूची से नामों के हटाये जाने की तिथि से उनके वेतन का भुगतान बंद कर दिया जा सके।

2. सरकार का यह भी निर्णय हुआ है कि आपके जिले में चकबन्दी कार्यालय में चेनमैन के जो 77 पद रिक्त हैं उनके विरुद्ध तेनुघाट बाँध योजना के हेल्परों, वाटरमैन, मेट, लेबरर आदि अतिरेक कर्मचारियों को समंजित करने के लिए उन पदों को सुरक्षित रखा जाय। अगर मुजफ्फरपुर जिले में भेजे गये तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों द्वारा इनका समंजन नहीं होता है तो उनके विरुद्ध तिरहुत प्रमंडल के अन्य जिलों में पदस्थापित तेनुघाट के उपर्युक्त कोटि के अतिरेक कर्मचारियों को नियुक्ति करना वांछनीय होगा। तदनुसार तिरहुत प्रमंडल के अन्य जिला पदाधिकारियों को सूचित किये जाने पर वे उक्त कोटि के अपेक्षित संख्यक कर्मचारियों को उनके यहाँ मुजफ्फरपुर समाहरणालय में पुनः प्रतिनियोजन कर देंगे। इस पत्र की प्रतिलिपि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,
(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-016/74 7 /पटना, दिनांक 14 जनवरी, 1975।

प्रतिलिपि जिलादंडाधिकारी] सारण (छपरा) गोपालगंज/सिवान/बैशाली/सीतामढ़ी/पश्चिम चम्पारण बेतिया/पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए प्रेषित।

कीर्ति नारायण
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ ई २-०16/74 7 / पटना, दिनांक 14 जनवरी, 1975।

प्रतिलिपि आयुक्त तिरहुत प्रमंडल/सिंचाई आयुक्त/मुख्य अभियंता, तेनुघाट योजना/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध योजना, तनुघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

संख्या ओ० एम०/ई-2-07/74 702 /

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

आयुक्त

जिलाधिकारी

पटना, दिनांक 28 सितम्बर, 1974

विषय :—तेनुघाट बाँध योजना के 1657 अतिरेक कर्मचारियों का अन्यान्य विभागों में समंजन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत 30 लिपिक, 16 आदेशपाल, 6 ड्राइवर एवं आपरेटर के पद सृजित किये गये हैं, जिनकी विवरणी संलग्न है। मुख्य सचिव ने यह निदेश दिया है कि जिन-जिन प्रमंडल/जिला मुख्यालय के लिये जो पद सृजित किये गए हैं उन्हीं स्थानों पर प्रतिनियुक्त तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाय। तेनुघाट के जिन अतिरेक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है उनमें से आदेशपालों के पदों को भरना तो आसान है। उसी प्रकार लिपिकों के 30 पदों के लिये अनेक अतिरेक कर्मचारी उपयुक्त होंगे एवं ड्राइवर के 6 पदों के लिए भी शायद कुछ अतिरेक ड्राइवर कर्मचारी मिल जा सकते हैं। अतः यह अनुरोध है कि यदि प्रमंडल के लिये पद हैं तो प्रमंडलीय आयुक्त एवं वहाँ के स्थानीय जिला राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी तथा यदि किसी जिले के पद हैं तो वहाँ के जिला पदाधिकारी एवं जिला राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी मिलकर उन अतिरेक कर्मचारियों से चयन कर लें एवं निदेशक, राष्ट्रीय बचत, पटना के पास औपचारिक नियुक्ति-पत्र भेजने के लिए अग्रसारित कर दें। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि कम से कम आदेशपाल के पदों के लिए किसी अतिरेक कर्मचारी को यह कहकर छाँटा नहीं जा सकता कि वह इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। यदि अतिरेक कर्मचारी कम से कम प्रवेशिकोत्तीर्ण (मैट्रिकुलेट) है तो उन्हें लिपिक के पद के लिये भी किसी भी शर्त पर छाँटा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि इन अतिरेक कर्मचारियों से नियुक्ति करने के लिये उनके गुणावगुण की बहुत ज्यादा छानबीन करने का एवं इन कारणों से उन्हें अयोग्य घोषित कर देने का कोई विकल्प नहीं है।

अतएव निवेदन है कि उपरोक्त निदेशानुसार शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा की जाय। इसकी एक प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय बचत बिहार, पटना को प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा भेजे गये नामों के संबंध में औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(कीर्ति नारायण)

सरकार के उप सचिव।

संलग्न :—सृजित पदों की विवरणी।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई-2-07/74 702 /पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 1974।

प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय बचत, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं यथानुसार कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(कीर्ति नारायण)

सरकार के उप सचिव।

संख्या ओ० एम/ई-२-०16/74 नवादा 188 /

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग;

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,

नवादा।

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1975।

विषय :—चपरासी के पद पर नियुक्ति करने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या 468/सी दिनांक 1-3-75 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार द्वारा बहुत पहले ही यह निर्णय लिया गया है कि तेनुघाट योजना के छटनीग्रस्त/अतरिक्त कर्मचारियों का सर्व-प्रथम सामंजन करना है। कारण सरकार की ओर से उन्हें वेतन प्रत्येक माह भुगतान करना पड़ रहा है। कार्मिक विभाग ने अपने पत्र संख्या 788 दिनांक 11-11-74 में इस बात पर बल दिया था कि तेनुघाट के अतिरिक्त कर्मचारियों का जबतक सामंजन नहीं हो जाता है तबतक किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति सामान्य पदों पर नहीं की जाय एवं जिन नियुक्तियों में इन निदेशों की अवहेलना की गयी हैं उन्हें रद्द किया जाय। अत: आपके प्रपत्र पर भली-भांति विचार करने पर यह निर्णय लिया गया है कि उम्मीदवार चपरासी की नियुक्ति तबतक नहीं की जा सकती है जबतक छटनीग्रस्त अतिरिक्त कर्मचारियों का सामंजन नहीं हो जाता है। उम्मीदवार चपरासी कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 16-5-73 के अनुसार छटनीग्रस्त कर्मचारी नहीं कहे जा सकते हैं। उक्त पत्र में चतुर्थ वर्गीय पदों के लिये नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया ही दर्शायी गई है।

अत: आपसे अनुरोध है कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों के सामंजन के बाद ही उम्मीदवार चपरासी के मामले पर नियुक्ति के लिये निर्णय लिया जाय।

(सी० आर० वेंकटरामन)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-०16/74 188 /

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1975।

प्रतिलिपि आयुक्त पटना प्रमंडल पटना को जिला पदाधिकारी नवादा के पत्र संख्या 468 दिनांक 1-3-75 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

(सी० आर० वेंकटरामन)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०।ई 2-०16/74 188 /

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1975।

प्रतिलिपि राजस्व विभाग/राजस्व पर्षद को जिला पदाधिकारी नवादा के ज्ञाप संख्या 468, दिनांक 1-3-75 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

(कीर्ति नारायण)
वास्ते—सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-016/74 188 /

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1975।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

(कीर्ति नारायण)
वास्ते—सरकार के सचिव।

संख्या ओ० एम०/ई2 020/74 705।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 1974।

विषय :—तेनुघाट योजना के 1657 अतिरेक कर्मचारियों का सामंजन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग (संघटन एवं पद्धति शाखा) के पत्र संख्या 378 दिनांक पहली जून 1974 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारी अब सभी प्रमंडल, जिला अनुमंडलों में प्रतिनियुक्ति आदेश के अनुसार योगदान कर चुके हैं। अभी तक इनमें कितने कर्मचारियों का सामंजन किया जा सका है, इस संबंध में कहीं से कोई खास प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी यह देखने में आया है कि कुछ जिलाधिकारियों ने इनमें से कुछ का सामंजन करने की दिशा में कदम उठाया है लेकिन जिला एवं प्रमंडलों के तकनीकी कार्यालयों में इसके लिए कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है। यह बड़े खेद का विषय है कि ये कर्मचारी एक तकनीकी विभाग से ही अतिरेक हुए हैं फिर भी उनके लिए तकनीकी विभागों में सामंजन की दिशा में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है, बल्कि उन विभागों में बाहरी व्यक्तियों को भी यदा-कदा नियुक्त करने की सूचना मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी मुख्यालय से इसके लिए सभी तकनीकी विभागों द्वारा अपने प्रमंडलों एवं अन्य क्षेत्रीय तकनीकी कार्यालयों को जोरदार शब्दों में इसके अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाने हेतु अनुरोध नहीं किया गया है।

2. कहीं-कहीं के क्षेत्रीय एवं जिला तकनीकी पदाधिकारी यह कह कर इन अतिरेक कर्मचारियों को स्वीकार नहीं करते कि ये तकनीकी कर्मचारी हैं एवं वैसे पद रिक्त नहीं हैं। ऐसा करना उचित नहीं होगा बल्कि उन कर्मचारियों के योग्य या कुछ नीचे स्तर के रिक्त तकनीकी पद खोजकर उन्हें नियुक्त करना है। यदि ऐसे तकनीकी नहीं भी मिलते हों तो उन्हें कुछ निम्न पदों पर जैसे आदेशपाल, पिउन या इससे कुछ उच्चतर पद पर तो नियुक्त किया ही जा सकता है। यह हमेशा ख्याल रखना है कि सरकार का निर्णय है कि जबतक इनका सामंजन नहीं हो जाता तबतक इन्हें वेतन मिलता रहेगा अतएव राज्य कोष का धन व्यर्थ ही खर्च होता रहेगा। अतएव इन्हें कहीं-न-कहीं से मिलते-जुलते पदों पर नियुक्त करना ही है एवं तबतक किसी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति वैसे पदों पर नहीं की जा सकती है।

3. अतएव अनुरोध है कि राज्य स्तरीय सभी विभाग (खासकर तकनीकी विभाग) अपने प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि भेजते हुए अपनी ओर से इस विषय की महत्ता को दिखाते हुए पुनः अनुरोध का पत्र भेजें ताकि इस समस्या का शीघ्र निस्तार हो सके।

विश्वासभाजन

(ह०/पी० के० जे० मेनन)

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या ओ० एम/ई2-020/74—705

पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 1974।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/चेयरमैन गंडक क्षेत्र विकास प्राधिकार मुजफ्फरपुर/चेयरमैन कोशी क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना और सहरसा/चेयरमैन सोन क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित है।

विश्वासभाजन

(कीर्ति नारायण)

सरकार के उप सचिव

संख्या ओ० एम०/ई 2-020/74 787 /

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

पटना, दिनांक 9 नवम्बर, 1974।

प्रेषक,

श्री कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव

सेवा में,

सिंचाई आयुक्त,
बिहार सरकार, पटना।

विषय :—तेनुघाट बाँध योजना के 1657 अतिरेक कार्यभारित कर्मचारियों को बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्यान्य विभागों में समायोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र संख्या ओ० एम०/ई 2-020/74-706 दिनांक 30 सितम्बर, 1974 तथा ओ० एम०/ई 2-018/74-758 दिनांक 17 अक्टूबर, 1974 के क्रम में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि नवादा, बेगूसराय एवं नालन्दा के जिलाधिकारियों ने यह सूचित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन जो रिक्त पद थे, उनपर तेनुघाट बाँध परियोजना के अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है परन्तु उन जिलों के संबंधित तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता इसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाते एवं स्पष्ट शब्दों में यह कहते हैं कि उनके कार्यालयों में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह खेद का विषय है कि यद्यपि सरकार यह चाहती है कि तेनुघाट बाँध परियोजना के अतिरेक कर्मचारियों का सरकारी कार्यालयों में अवशोषण जल्द से जल्द किया जाय तथापि उन कर्मचारियों में से अधिकतर तकनीकी कर्मचारी होने पर भी तकनीकी कार्यालयों में उनके लिये कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

2. पत्र संख्या 705, 30 सितम्बर, 1974 के परिपत्र में मुख्य सचिव द्वारा सभी तकनीकी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्थित तकनीकी पदाधिकारियों को अनुरोध करें कि नियुक्ति में सर्वप्रथम इन अतिरेक कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर नियुक्त करें। इस विभाग को यह अज्ञात है कि राज्य स्तर के तकनीकी विभागों ने अपने तकनीकी पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई विशेष निदेश भेजा है या नहीं, लेकिन जिलाधिकारियों से जो प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं, इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस विषय पर स्थानीय तकनीकी पदाधिकारियों को उनके द्वारा कोई खास अनुदेश नहीं भेजा गया है, क्योंकि उनके द्वारा तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन के लिये कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। बल्कि ठीक इसके उल्टा इन परिपत्रों में, निहित अनुदेशों की धड़ल्ले से अवहेलना किये जाने की सूचनाएँ मिली हैं। उदाहरण-स्वरूप सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने दूरभाष पर सूचित किया है कि बागमती सिंचाई योजना एवं ट्यूब वेल निगम में जहाँ इन तकनीकी कर्मचारियों की विशेष आवश्यकता है एवं समायोजन आसानी से हो सकता था, बाहरी व्यक्तियों को भरा जा रहा है। राँची के उपायुक्त के अनुसार भू० संरक्षण के उप-निदेशक ने उपायुक्त द्वारा तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों के उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी उसे लौटाकर बाहरी व्यक्ति को ट्रैक्टर ड्राइवर वगैरह के पद पर नियुक्त किया है। बेगूसराय में विद्युत बोर्ड तथा ग्राम्य अभियंत्रण संगठन में जगहें हैं जहाँ उनकी अवहेलना की जा रही है एवं इन विभागों के स्थानीय अभियंता जिलाधिकारी को यह कहते हैं कि विद्युत परिषद् राज्य स्तरीय ग्राम्य अभियंत्रण संगठन से आदेश भेजवाया जाय। इससे तो स्पष्ट है कि राज्य स्तर के विभागों ने अभी तक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित निदेश नहीं दिया है। उल्लेखनीय है कि तेनुघाट के 1657 अतिरेक कर्मचारियों में से लगभग 600 कर्मचारी सामान्य कार्य वाले हैं और बाकी लगभग 1,000 कर्मचारी तकनीकी हैं जिनका सामंजन जिलाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के लिये कठिन हो रहा है। उनका सामंजन तभी हो सकता है जब जिलों एवं प्रमंडलों के स्तर के तकनीकी पदाधिकारी पूर्ण सहयोग करें।

3. उपर्युक्त परिस्थिति में मुख्य सचिव का आदेश हुआ है कि कृपया आप अपने अधीनस्थ तथा अन्य विभागों के राज्य स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों को तेनुघाट बाँध परियोजना के अतिरेक तकनीकी कर्मचारियों के अवशोषण के लिये अनुसरण की कार्रवाई करें, खासकर इस पत्र में उल्लिखित विभागों से कार्रवाई के लिये कहें तथा जिन पदाधिकारियों ने इन आदेशों की अवहेलना की है उनके विरुद्ध संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई के लिये एवं अनियमित नियुक्तियों को रद्द करवाने के लिये भी कहें। इस विभाग को की गयी कार्रवाई से अवगत कराएं।

विश्वासभाजन,
ह०/- कीर्ति नारायण
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-014/75 672 /

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में;

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिलाधिकारी

पटना, दिनांक 17 नवम्बर, 1975।

विषय :—तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों को निर्माण कार्यों में समायोजित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत उनके सरकारी आदेश संख्या 14094 दिनांक 25-7-75, की प्रतिलिपि आपकी जानकारी के लिए अनुलग्न करनी है।

2. मुझे अनुरोध करना है कि तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन की समस्या को सुलझाने में क्षेत्रीय प्रावैधिक कार्यालयों से सम्पर्क रखा जाय ताकि उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध उपर्युक्त अतिरेक कर्मचारियों का अवशोषण हो सके।

विश्वासभाजन,
ह०/- कीर्ति नारायण
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार,

लोक निर्माण विभाग

पत्र संख्या—ई2/एम-10127/75 लो० नि० 14094

पटना, दिनांक 25-7-1975

प्रषक,

श्री सुरेश कुमार,
लोक कार्य आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, बिहार पटना
सभी अपर मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (मुख्य उपभाग सहित सभी उपभाग)।

विषय :—लोक निर्माण के अन्तर्गत कार्यभारित कर्मचारियों एवं एम० आर० स्टाफ की नियुक्ति पर रोक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य मंत्री, बिहार के कार्यालय कक्ष में हुई दिनांक 9-6-1975 की बैठक की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कार्यवाही के संगत अंश 4, 5 एवं 6 की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि आए दिन कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति की बहुलता पर मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उक्त बैठक में असंतोष प्रकट किया गया। मुख्य मंत्री महोदय के इच्छानुसार इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से राज्य की किसी भी परियोजनाओं में कार्यभारित कर्मचारियों/मास्टर रौल स्टाफ की नियुक्ति बिल्कुल नहीं की जाय एवं भविष्य में उक्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के विभिन्न परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा ही की जाय।

2. पी० डब्लू डी० कोड के नियम 60 के अन्तर्गत कार्य विभागों के अधीक्षक-अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता को कार्यभारित कर्मचारियों/वैसे एम० आर० स्टाफ जिन्हें अधिक दिनों तक रखना पड़े, की नियुक्ति करने का प्राधिकार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक वापस ले लिया जाता है। कार्यभारित कर्मचारियों/अधिक दिनों तक रहनेवाले एम० आर० स्टाफ की नियुक्ति का प्राधिकार अब केवल कार्य विभागों के अभियंता प्रमुख मुख्य अभियन्ता/अपर मुख्य अभियन्ता को रहेगा। इसी बीच पी० डब्लू डी० कोड के नियम 60 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

3. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना कर जिन पदाधिकारियों द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों/एम० आर० स्टाफ की नियुक्तियाँ की गई हैं वैसी नियुक्तियों से संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

4. कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति की अविलम्ब समीक्षा कर सरकार को एक विस्तृत प्रतिवेदन तुरत प्रस्तुत किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/सुरेश कुमार
लोक कार्य आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 14094 दिनांक 25-7-75

प्रतिलिपि सिंचाई विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आवास विभाग,/योजना एवं विकास (ग्रामीण विकास) विभाग/ (लघु सिंचाई विभाग/की मुख्य मंत्री बिहार के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक दिनांक 9-6-75 की कार्यवाही की प्रतिलिपि के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यवाही के संगत अंशों पर समरूप कार्रवाई अपने विभागीय स्तर पर तुरत की जाय।

ह०/-अस्पष्ट
लोक कार्य आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या 14094 दिनांक 25-7-75

प्रतिलिपि श्री पी० एस० कोहली, सिचाई आयुक्त एवं प्रधान सचिव, सिंचाई एवं विद्युत् विभाग बिहार पटना को मुख्य सचिव बिहार को सम्बोधित उनके अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 2489 दिनांक 14-7-75 के प्रसंग में, सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- अस्पष्ट
लोक कार्य आयुक्त, बिहार

ज्ञाप संख्या 14094 दिनांक 25-7-75

प्रतिलिपि सभी उपभाग के सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित।

2. कार्यभारित/दैनिक वेतन (एम० आर० स्टाफ) की इसपर जितनी नियुक्ति की गई है उनका पूर्ण विवरण एवं औचित्य बताते हुए एक महीने के अन्दर अवश्य उपलब्ध कराएं।

ह०/—अस्पष्ट
वास्ते अभियन्ता प्रमुख. लोक निर्माण विभाग
बिहार पटना

Proceeding of the meeting held in Chief Minister's Chamber from 9-6-75 to discuss the question of implementation of the Award given by the Industrial Tribunal in respect of the work charged staff employed in the Kosi and the Gandak Projects.

PRESENT :

1.	Dr. J. Mishra	Chief Minister
2.	Shri P. S. Kohili	Irrigation Commissioner-Cum-Principal Secretary, Irrigation & Power.
3.	Shri R. P. Khanna	Financial Commissioner.
4.	Shri Devendra Prakash Maheshwary	Labour Commissioner
5.	B. P. Sarkar	Special Secretary Irrigation and Electricity Department.
6.	Shri I. C. Kumar	Labour Secretary.
7.	Shri J. P. Sinha	Secretary, Law Department.

Irrigation Commissioner gave the details of the history of the case and mentioned that after good deal of deliberations in different forms including the Industrial Tribunal, ultimately, the Award has been given by the Industrial Tribunal in March 1975. As per award, a sum of Rs. 4,37,40,000 has to be paid as arrear on account of pay revision and the filed allowances. In addition, there will be roughly Rs. 35 lakhs additional annual expenditure. Irrigation Department therefore, referred the matter to the Law Department for their advice sometime. The officers of the Irrigation Department have been requesting Law Department to Expedite their advice so that as per their advice Irrigation Department may take necessary Government orders without further delay. Irrigation Commissioner also mentioned that in view of the delay in the implementation of the award, dissatisfaction is building up in the work charged establishment in different projects and therefore it is of utmost importance to take prompt decision on this issue. In case Law Department feel that there is a scope for filing a Writ petition then this course should be adopted without delay and in case, there is no legal remedy available, then a clear court advice should be given to the Irrigation Department so that unnecessarily the implementation of

the Award is not delayed. Irrigation Commissioner also emphasised that any delay in the implementation of the Award, without proper justification is likely to put the Irrigation Department in a very embarrasing situation as the Labour Department feel that such delays can lead to prosecution of agencies responsible for this.

2. Chief Minister was kind enough to direct the Law Department to expedite examination of the case and give their advice without further delay. He was also pleased to observe that the matter should be examined carefully and only that course of action should be adopted, which is legally justified.

3. Irrigation Commissioner urged that Law Secretary may like to call the standing councl and, if need be, also call the officers of the Irrigation and Labour Department with a view to dispose of this matter without further delay.

4. In course of discussion Chief Minister expressed his dissatisfaction for the appointment of a very large number of work charged staff in the projects and also over heavy expenditure on the construction of colony, buildings, Inspection Bungalows and Roads in the command of projects.

5. He desired that (*i*) there should be no further appointment of work charged staff and M. R. staff on any of the projects in the State and all future requirements of staff should be met by the distribution of the existing surplus work charged staff, employed in various projects of the State.

(*ii*) Power to appoint work charged staff and M. R. staff, should be withdrawn from the Local officers, for future appointments.

(*iii*) Executive Engineers and Superintending Engineers who made appointment in work charged establishments against the instruction of Government issued from time to time should be proceeded against and they should be suitably punished. Review about the appointment of work charged staff should start immediately.

(*iv*) In view of the paucity of fund for completion of projects, the expenditure on buildings be deferred and the Engineer and field staff engaged in construction work in the fields could be provided with tent accommodation as was being done for the Engineering staff of the Railways engaged in construction work.

6. Chief Minister desired that these points should be examined quickly and necessary instructions should be issued as early as possible.

———

संख्या ओ०एम०/ई2/-016/74 (नालन्दा) 661 /

कार्मिक विभाग

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सचिवालय से संलग्न सभी विभागाध्यक्ष

पटना; दिनांक 14 नवम्बर, 1975।

विषय :—स्थानीय निकायों एवं लोक उपक्रमों में तेनुघाट बाँध योजना के अतिरेक कर्मचारियों का समायोजन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की नीति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8250 दिनांक 9-12-1967 (प्रतिलिपि संलग्न) में विनिहित है। उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञाप संख्या सी० एस०-3-एम-1-1025/72-67 दिनांक 8-1-73 प्रतिलिपि संलग्न की कंडिका 3 के अनुसार स्थानीय निकायों एवं जन उपक्रमों के अधीन नियुक्तियों पर भी भागू किया गया है। तदनुसार तेनुघाट बांध योजना के अतिरेक कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के संबंध में निर्गत ओ०एम०/ई-2-02/74-306 दिनांक 16-5-74, ओ०एम०/ई2-02/74-378 दिनांक 1-6-74 इस प्रशाखा के परिपत्र संख्या ओ०एम०/ई2-01/74-147, दिनांक 26-2-75 स्थानीय निकायों तथा जन उपक्रमों पर लागू है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ स्थानीय निकायों एवं लोक उपक्रमों को यथोचित निर्देश निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई-2-016/74 661 /

पटना, दिनांक 14 नवम्बर, 1975।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित।

विश्वासभाजन
(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

संख्या8250—वि०

बिहार सरकार,

वित्त विभाग,

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

दिनांक 9 दिसम्बर, 1967।

विषय :—अतिरिक्त छांटे गये सरकारी सेवकों के नियोजन सम्बन्धी कार्य।

महाशय;

मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञाप संख्या सी० एस०-3363 दिनांक 1967 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में निदेशानुसार मुझे कहना है कि तिथि 7 जुलाई 1967 से सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में और तिथि 10 जुलाई 1967 से सरकार के अन्य

सभी कार्यालयों तथा स्थापनाओं में केवल अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों की ही नियुक्ति, करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। अबतक छांटे गये/अतिरेक सरकारी सेवकों की सूची और उनके नियोजन सम्बन्धी कार्य वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ में किया जा रहा था। कुछ दिनों से छंटे गये कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है और इनके नियोजन की समुचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि यह कार्य एक ऐसी संस्था को सौंपा जाय जिसको नियोजन कार्य का अनुभव तथा इसके तकनीकी पक्ष का भी ज्ञान हो। इसी संदर्भ में सरकार का निर्णय है कि इस कार्य को राज्य नियोजन निदेशालय वित्तविभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ के सहयोग से करेंगे। इसी उद्देश्य से राज्य नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय (नियोजन शाखा) में एक केन्द्रीय नियोजन कोषांग बनाया जायगा।

2. सरकार के संकल्प संख्या। एम-1-6085/65-10195-एफ, तिथि 12 नवम्बर 1965 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह निर्देश लिया गया था कि अराजपत्रित स्थापनाओं में पदों के सृजन के मापदण्ड को 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा। इसीके अनुसार प्रत्येक विभाग अपने नियंत्रणाधीन अराजपत्रित स्थापनाओं की छानबीन करेंगे और अतिरेक सरकारी सेवकों एवं पदों की सूची बनाएंगे। इस प्रकार के अतिरेक पद-वर्गों की सूची वित्त बिभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ में रहेगी तथा जबतक अतिरेक सरकारी सेवक की कोई दूसरे पद पर नियुक्ति नहीं होती है वे अपने सम्बद्ध विभाग/ कार्यालय में बने रहेंगे।

3. छांटे गये सरकारी सेवक उन्हें ही माना जायेगा जो किसी सरकारी पद पर कम से कम 6 माह तक लगातार नियुक्त रहे हों और जो मितव्ययिता/कार्य सम्पादन/स्वीकृति की समाप्ति के कारण तिथि 1ली मार्च 1967 को या उसके बाद सरकारी सेवा से मुक्त किये गये हों।

4. अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों. जिनके नाम वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ट में है, की सूची केन्द्रीय नियोजन कोषांग में भेजी जा रही है। सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष कर्यालय के प्रधान अब भी उक्त प्रकार की सूची इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (संलग्नक 1) केन्द्रीय नियोजन कोषांग में भेजें।

5. प्रत्येक अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक को विहित प्रपत्र में (संलग्नक 2) एक प्रमाण-पत्र उसके सम्बद्ध विभाग/कार्यालय द्वारा दिया जाय और ऐसे सरकारी सेवकों को निर्देश दिया जाय कि वे अपने आवास के निकटतम नियोजन निदेशालय में अपना नाम निबंधित करवा लें।

6. सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान अपने-अपने स्थापनाओं के अराजपत्रित कर्मचारी तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पदों के रिक्त होने की सूचना विहित प्रपत्र (संलग्नक—3) में केन्द्रीय नियोजन कोषांग को भेजेंगे और उस सूचना की एक प्रति अपने क्षेत्र के नियोजनालय में भी अग्रसारित कर दें।

7. अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों के नियोजन के लिए उनका नाम भेजने में निम्नांकित सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय नियोजन कोषांग कार्रवाई करेंगे :—

(क) अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों में अतिरेक कर्मचारियों को प्राथमिकता नाम भेजने में दी जायगी।

(ख) अतिरेक और छांटे गये दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों की अलग-अलग सूची में पारस्परिक प्राथमिकता सेवा की अवधि, योग्यता एवं सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अन्य कागजात पर निर्भर करेगी।

(ग) यदि कोई ऐसे अतिरेक छांटे गये सरकारी सेवक हों जिनका नाम ऐसे पद पर नियोजन के लिये भेजा गया हो जिस स्तर तथा जिस वेतनमान के पद पर वे अतिरेक घोषित या छांटे जाने के पूर्व थे उस पद पर उनकी नियुक्ति अवश्य करनी होगी। यदि नियुक्त करनेवाले प्राधिकृत पदाधिकारी लिखित रूप में ऐसा व्यक्त करें कि जिन छांटे गये कर्मचारियों के नाम केन्द्रीय नियोजन कोषांग ने भेजा है वे निःसन्देह उस पद के लिए अयोग्य हैं और ऐसी अयोग्यता के कारण का भी उल्लेख करें तभी उनके सिवाय किसी की नियुक्ति हो सकती है। इस तरह के जितने अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक अयोग्य पाये जायें, उनकी सूचना वित्त विभाग के मितव्यय प्रकोष्ठ और केन्द्रीय नियोजन कोषांग को यथाशीघ्र दे दी जाय।

(घ) यदि कोई अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक योग्य समझे जायें तो सरकारी/प्रायः सरकारी स्थापनाओं में जिस पद पर वे पहले थे उससे कम वेतन के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम भेजे जा सकते हैं।

(ङ) यदि अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय जिसका स्तर और वेतन वे जिस पद से अतिरेक घोषित/छांटे गये हों उसके अनुरूप हो और वे यदि ऐसी नियुक्ति को नहींस्वीकार करें तो उनका नाम अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों की सूची से हटा दिया जायगा।

(च) यदि किसी अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवक का नाम उनके नियोजन के लिए भेजा गया हो और नियोजन ने उनको साक्षात्कार इत्यादि के लिए बुलाया हो और वे यदि इस प्रकार से बुलाये जाने पर तीन बार बिना समुचित कारण के साक्षात्कार इत्यादि में उपस्थित न हों तो उनका नाम अतिरेक/छांटे कर्मचारियों की सूची से हटा दिया जायगा।

(छ) सभी अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों की सरकारी स्थापनों में नियुक्ति सम्बन्धी उच्चतम आयु की सीमा को शिथिल किया गया है ऐसा माना जायेगा यदि वे उक्त आयु सीमा से अधिक आयु के हों।

8. उपर्युक्त आदेश को कृपया अधीनस्थ पदाधिकारियों के ध्यान में तुरत लाया जाय और उन्हें निर्देश दिया जाय कि उपर्युक्त कंडिका 4 और 6 के अनुसार विहित प्रपत्र में अतिरेक/छांटे गये सरकारी सेवकों की सूची वे अवश्य भेज दें।

9. केन्द्रीय नियोजन कोषांग सम्बन्धी सभी पत्राचार निम्नांकित पते से किया जाय।

नियोजन सम्पर्क पदाधिकारी

10. इस पत्र की प्राप्ति की सूचना कृपया नियोजन तथा प्रशिक्षण निदेशालय (नियोजन शाखा) बेली रोड पटना—1।

आपका विश्वासभाजन,
ह०/–पि० एस० अपु
सचिव, वित्त विभाग।

————

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय

ज्ञाप संख्या—सी०एस-3-/एम-1-1026/72-67/पटना-15, दिनांक 8 जनवरी, 1973।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदा०

विषय :—तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति में छंटनीग्रस्त सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता।

मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या-3363 दिनांक 5 जुलाई 1967 एवं अनुवर्त्ती परिपत्र संख्या 4872 दिनांक 25 सितम्बर 1967 तथा 4949 दिनांक 2 सितम्बर, 1969 (प्रतिलिपि संलग्न) में सरकार ने निदेश दिया था कि भविष्य में सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी वाह्य व्यक्ति की नियुक्ति बिलकुल नहीं की जाय वरन् उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय जिनकी छटनी सरकारी सेवा से हो गई है। मात्र पुलिस बल में नियुक्ति के लिये छंटनीग्रस्त सूची से ही नियुक्ति करने की पाबन्दी नहीं थी। इस तरह सभी रिक्तियों को (पुलिस बल छोड़कर) छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखने के चलते पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब और काफी दिक्कत का अनुभव हो रहा है। कारण वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची केन्द्रीय नियोजनालय प्रकोष्ठ तथा पटमंडली आयुक्त के कार्यालय में रहती है और नियोजनकर्त्ता को अपने अधीन रिक्त पदों की सूचना पहले प्रमंडलआयुक्तों/केन्द्रीय नियोजन कोषांग को छंटनीग्रस्त उम्मीदवारों की प्रस्तुती के लिये भेजनी पड़ती है। उक्त सूची से योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं रहने पर स्थानीय नियोजनालय से सुयोग्य उम्मीदवारों के नाम मांगे जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा रिक्त पदों को भरने में विलम्ब होता ही है, साथ-साथ छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची और उनका वर्त्तमान पता प्रायः अद्यतन नहीं रहने के कारण बहाली में व्यावहारिक कठिनाई का भी

सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर रिक्तियों के 14 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए और 10 प्रतिशत पद वनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है। उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के पदों की 20 प्रतिशत रिक्तियां एवं तृतीय श्रेणी के पदों की 10 प्रतिशत रिक्तयाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुरक्षित है (नियुक्ति विभाग का परिपत्र संख्या— ए-912, तिथि 10-1-1969 एवं कार्मिक विभाग का पत्र संख्या—17262 तिथि 14 सितम्बर, 1972)। इन छटनीग्रस्त कर्मचारियों की नियुक्ति सम्भव नहीं है।

2. अतः सारी स्थिति पर समग्र रूप से पुर्नविचार करते हुए इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(क) जो पद अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुकूल आरक्षित हों उनपर नियुक्ति के लिये छंटनीग्रस्त सूची के उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाय जो उपर्युक्त कोटियों में आते हैं। अगर सूची में इन कोटियों के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो फिर बाहर से जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति अथवा भूतपूर्व सैनिक नियुक्त किये जायँ।

(ख) अनारक्षित रिक्तियों के 50 प्रतिशत पद प्राथमिकता के आधार पर सुयोग्य छंटनीग्रस्त कर्मचारियों में से भरे जायँ। अवशेष ऐसे पदों पर नियुक्तियाँ वाह्य व्यक्तियों से सामान्य प्रक्रिया अपना कर की जाय।

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी विभाग अपने से सम्बद्ध सार्वजनिक प्रतिष्ठान/स्वायत्त शासी निकाय एवं स्थानीय संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं में वर्ग—3 और 4 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति में इसी नीति का अनुपालन कराएँ।

4. उपर्युक्त अनुदेशों तक मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या—3363 दिनांक 5 जुलाई 1967, 4872, दिनांक 25 सितम्बर, 1967 तथा 4949 तिथि 2 सितम्बर, 1969 संशोधित समझा जाय। इन निर्णयों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को तुरत अवगत करा दें।

5. कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें।

ह०/—पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार।

———

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय

———

ज्ञाप संख्या-सी०एस-3363 पटना-15 दिनांक 14 आषाढ़ (स), 5 जुलाई 1967।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव एवं अपर सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सरकार के सभी विभाग।

सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी एवं नौकरी में उनके पुनर्वास की समस्या को मद्देनजर रखकर दिनांक 4 जुलाई 1967 की मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रि परिषद ने यह निर्णय लिया है कि सचिवालय में किसी अराजपत्रित पद पर दिनांक 7 जुलाई 1967 से क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 10 जुलाई 1967 से नये व्यक्तियों की बहाली बिल्कुल नहीं की जाय। अगर साक्षात्कार आदि हो गया रहे तो भी नियुक्ति नहीं की जाय। ऐसे पदों पर केवल उन्हीं लोगों की बहाली की जायगी जिनकी सेवा उपर्युक्त छंटनी के फलस्वरूप समाप्त हो गई है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कारंवाई की जाय।

2. साथ ही यह भी अनुरोध है कि अपने विभाग के अधीन ऐसे जितने भी अतिरिक्त स्टाफ हों या जिनकी छंटनी हो गई हो तो, उनकी योग्यता उम्र आदि का पूर्ण उल्लेख करते हुए एक सूची वित्त विभाग को भेजने की कृपा करें। सूची की एक प्रति मंत्रिपरिषद सचिवालय में भी भेजें।

3. क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सरकार के इस निर्णय से तुरत अवगत कराया जाय।

ह०/-प्रेम प्रकाश अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव।

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

श्री राम प्रकाश खन्ना,
मुख्य सचिव, बिहार

पटना,
दिनांक 19 फरवरी, 76

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या ओ० एम०/ई-2–016/74 पटना/159

प्रिय रामाधार,

विषय :—तेनुघाट बाँध योजना के अतिरेक कर्मचारियों का समायोजन कृपया उपर्युक्त विषय पर उप सचिव कार्मिक विभाग (संघटन एवं पद्धति प्रशाखा) को सम्बोधित कृषि विपणन पर्षद के पत्र संख्या 255, दिनांक 12-1-76 का निर्देश करें।

सरकार की इच्छानुसार मुझे कहना है कि राज्य कृषि विपणन पर्षद् द्वारा लिया गया निर्णय कि जिन लोगों की जमीन बाजार प्रांगण के निर्माण हेतु ली गई है या ली जायगी उन भूमिहीनों को वैकल्पिक धंधा देने के लिए बाजार समितियों में होनेवाली नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जायगी, सही कदम है। प्रसंगाधीन पत्र से यह स्पष्ट है कि विपणन पर्षद का यह भी निर्णय हुआ कि जब बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की जायगी तो बाहरी व्यक्तियों में तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों को अवश्य प्राथमिकता दी जायगी। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे अनुरोध करना है कि पर्षद द्वारा बाजार समितियों को इस आशय का आदेश भेज दिया जाय जिसमें जब कभी बाजार समितियों द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को छोड़ किसी बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति का मौका आए तो तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों को यथासमय नियुक्त किया जा सके।

इस पत्र की प्रतिलिपि सभी प्रमंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को भेजी जा रही है ताकि वे नियत समय पर तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार बाजार समितियों को उपलब्ध करा सकें।

भवदीय,
(राम प्रकाश खन्ना)

सेवा में,

श्री रामाधार,
अध्यक्ष, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद पटना।

अ०स० ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई-2-016/74—159/पटना, दिनांक 19 फरवरी, 1976।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलायुक्तों/जिलाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

अ०स० ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई-2-016/74—159/पटना, दिनांक 19 फरवरी, 1976।

प्रतिलिपि सिंचाई आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।